

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 04-08-2025

विषय सूची

- » भारत के कीटनाशक बाजार में परिवर्तन
- » जैव-फोर्टिफाइड आलू
- » POSH और राजनीतिक दल
- » भारत में गैर-संचारी रोग
- » भूमि क्षरण और सूखे के स्वास्थ्य पर प्रभाव: UNCCD
- » मुद्रास्फीति में कमी और निर्यात में वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्रता

संक्षिप्त समाचार

- » आर्य समाज विवाह
- » OPEC+ देश तेल उत्पादन बढ़ाएंगे
- » "संयुक्त सागर-2025" अभ्यास
- » पिंगली वैकैया
- » प्रथम बिस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव
- » भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक दक्षिण क्षमता निर्माण
- » स्टेबलकॉइन
- » पूर्वोत्तर भारत में बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन
- » छोटे किसानों के लिए ICRISAT की AI परामर्श
- » DNTs के लिए स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग में वृद्धि
- » टी सेल(T cell)
- » ऑपरेशन मुस्कान-XI

भारत के कीटनाशक बाजार में परिवर्तन

संदर्भ

- भारत का कीटनाशक बाजार एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो कीटों की परिवर्तित प्रवृत्तियों, श्रम की कमी और फसल उत्पादन की परिवर्तित पद्धतियों से प्रेरित है।

पृष्ठभूमि

- कीटनाशक, या फसल सुरक्षा रसायन, वे पदार्थ होते हैं जो फसलों को हानि पहुँचाने वाले कीटों को मारने या रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं:
 - कीटनाशक:** कीटों के लिए (जैसे, धान में सफेद पीठ वाला पौधा चूसक कीट)
 - फफूंदनाशक:** फफूंदी जनित रोगों के लिए (जैसे, ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट)
 - शाकनाशक:** खरपतवार नियंत्रण के लिए
- 20वीं सदी के मध्य में भारत में कीटनाशकों का उपयोग कम था, लेकिन हरित क्रांति के साथ इसका विस्तार हुआ।
- हाल के दशकों में, नियामक बदलाव (जैसे DDT, एंडोसल्फान का प्रतिबंध) और श्रम लागत में वृद्धि ने शाकनाशकों और जैविक कीटनाशकों को अपनाने को बढ़ावा दिया है।

भारत के फसल सुरक्षा बाजार की संरचना

- भारत का संगठित घरेलू फसल सुरक्षा रसायन बाजार लगभग ₹24,500 करोड़ का है।
- इसमें सबसे वृहद खंड कीटनाशकों का है (₹10,700 करोड़), इसके बाद शाकनाशक (₹8,200 करोड़) और फफूंदनाशक (₹5,600 करोड़)।
 - शाकनाशक >10% वार्षिक दर से बढ़ रहे हैं, जो सभी उप-खंडों में सबसे अधिक है।
- वैश्विक परिवर्तन**
 - खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, 2022 में वैश्विक स्तर पर 3.7 मिलियन टन से अधिक कीटनाशकों का उपयोग हुआ, जो 1990 की तुलना में दोगुना है।

- एशिया उत्पादन और खपत में अग्रणी है, जिसमें चीन एवं भारत अग्रणी हैं।

INDIA'S CROP PROTECTION CHEMICALS MARKET

	Market Size	Annual Growth
Insecticides	₹10,706 cr	5.3%-5.5%
Fungicides	₹5,571 cr	5.5%-6%
Herbicides	₹8,209 cr	10%-11%

Source: Industry estimates for 2024-25. Growth is for last five years.

शाकनाशकों की वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण

- मैनुअल निराई-गुडाई में प्रति एकड़ 8–10 घंटे लगते हैं, जबकि पौध संरक्षण श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी दिसंबर 2024 में ₹447.6 हो गई (2019 में ₹326.2 थी) — श्रम ब्यूरो के अनुसार।
- प्रवास और अवसर लागत के कारण, श्रम उपलब्धता विशेष रूप से कृषि के चरम समय में अस्थिर रहती है।
- शाकनाशक अब ट्रैक्टर या यंत्रीकृत हार्वेस्टर की तरह श्रम के विकल्प बन गए हैं।

नियामक ढांचा

- कीटनाशक अधिनियम, 1968:** आयात, पंजीकरण, निर्माण, बिक्री, परिवहन और उपयोग को नियंत्रित करता है।
- प्रतिबंधित/निषिद्ध कीटनाशक:** भारत ने 46 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया है; पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट जैसे अन्य अभी भी जांच के अधीन हैं।
- CIB&RC (केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति):** नए कीटनाशकों को मंजूरी देता है और सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- अनुपम वर्मा समिति:** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा गठित, जिसने उन 66 कीटनाशकों की समीक्षा की जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं लेकिन भारत में अभी भी पंजीकृत हैं।

कीटनाशकों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):** एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) और जलवायु-सहिष्णु खेती को प्रोत्साहित करता है।

- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY):** जैविक खेती को प्रोत्साहन देती है, जिसमें जैविक कीटनाशकों का उपयोग शामिल है।
- किसान ड्रोन योजना (2022):** कृषि ड्रोन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे सटीक छिड़काव और स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आती है।
- किसान कवच सुरक्षात्मक किट:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित, यह कीटनाशक छिड़काव करने वालों के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान करती है।

चिंताएँ

- पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम:** अत्यधिक या अनुचित कीटनाशक उपयोग से मृदा अवं जल प्रदूषण, प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण, और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- नियामक निगरानी:** भारत में EPA (USA) या EFSA (EU) जैसे सुदृढ़ नियामक ढांचे की कमी है।
- अनुसंधान एवं स्वदेशी क्षमता:** भारत सक्रिय घटकों और निर्माण के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर है। घरेलू अनुसंधान एवं सार्वजनिक-निजी नवाचार मंचों में अधिक निवेश की आवश्यकता है।

आगे की राह

- जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देना:** अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाएं और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के उत्पादन को प्रोत्साहित करें।
- नियामक प्रवर्तन को मजबूत करें:** नकली और निम्न गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की बिक्री को रोकने के लिए राज्य स्तर पर निगरानी सुधारें।
- किसान जागरूकता और प्रशिक्षण:** किसानों को विवेकपूर्ण, आवश्यकता-आधारित कीटनाशक उपयोग के लिए शिक्षित करने हेतु विस्तार सेवाओं का विस्तार करें।
- डिजिटल ट्रेसबिलिटी सिस्टम:** निर्माता से किसान तक गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए QR-आधारित ट्रैकिंग लागू करें।

- अनुसंधान एवं विकास में निवेश वृद्धि :** ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो-कीटनाशक और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) में नवाचार को समर्थन दें।
- खतरनाक रसायनों पर प्रतिबंध लगाएं:** FAO-WHO दिशानिर्देशों के अनुरूप क्लास I कीटनाशकों (अत्यधिक खतरनाक) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें।

निष्कर्ष

- भारत का कीटनाशक क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर है—जहाँ यह फसल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं यह पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ भी उत्पन्न करता है।
- सुरक्षित और सतत कृषि की ओर संक्रमण के लिए नियमन, नवाचार एवं किसान जागरूकता का संतुलित मिश्रण आवश्यक है।

Source: [IE](#)

जैव-फोर्टिफाइड आलू

संदर्भ

- पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (CIP) के महानिदेशक ने कहा है कि आयरन युक्त बायो-फोर्टिफाइड आलू जल्द ही भारतीय बाजारों में उपलब्ध होंगे।

परिचय

- बायो-फोर्टिफाइड शकरकंद, जिसमें विटामिन A को CIP द्वारा विकसित तकनीक से जोड़ा गया है, पहले से ही कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उपलब्ध हैं।
- अब ध्यान आलू में आयरन फोर्टिफिकेशन पर है; इसकी प्रथम किस्म पेरू में जारी की गई है।
- वर्तमान में यह ICAR द्वारा मूल्यांकन के अधीन है और इसे भारतीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

CIP-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC)

- CIP-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (CSARC) आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है।
- यह न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे आलू उत्पादक राज्यों के किसानों की सेवा करेगा, बल्कि दक्षिण एशियाई देशों को भी लाभ पहुंचाएगा।
- **उद्देश्य:** खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाना, किसानों की आय एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देना—आलू और शकरकंद की उत्पादकता, कटाई के पश्चात प्रबंधन और मूल्य संवर्धन के माध्यम से।
- **शासन व्यवस्था:** भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कृषि सचिवों की समन्वय समिति द्वारा संचालित।

इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर (CIP)

- CIP की स्थापना 1971 में अनुसंधान-विकास संगठन के रूप में की गई थी, जिसका फोकस आलू, शकरकंद और एंडियन जड़ व कंद फसलों पर है।
- यह वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से पोषणयुक्त खाद्य तक पहुंच बढ़ाता है, समावेशी सतत व्यवसाय एवं रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देता है, और जड़ व कंद आधारित कृषि-खाद्य प्रणालियों की जलवायु सहनशीलता को सुदृढ़ करता है।
- **मुख्यालय:** लीमा, पेरू
- CIP की अनुसंधान उपस्थिति अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के 20 से अधिक देशों में है।

बायो-फोर्टिफाइड फसलें

- बायो-फोर्टिफाइड फसलें वे होती हैं जिन्हें विशेष रूप से आवश्यक पोषक तत्वों—जैसे विटामिन, खनिज या अमीनो एसिड—की उच्च मात्रा के लिए विकसित किया गया है।
 - यह पारंपरिक प्रजनन तकनीकों, आनुवंशिक संशोधन या आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी विधियों के माध्यम से किया जाता है।

BIOFORTIFICATION APPROACHES

For biofortification multiple approaches can be utilised to enhance production



- **उद्देश्य:** उन क्षेत्रों में फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना जहाँ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी व्यापक है।
- **उदाहरण:** गोल्डन राइस को विटामिन A की कमी को कम करने के उद्देश्य से बीटा-कैरोटीन (प्रोविटामिन A) की उच्च मात्रा के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

The biofortified varieties have been licensed to various private seed companies and Farmers Producer Organizations (FPOs)

Sr. No.	Crop	Name of cultivar	No. of licenses
1.	Wheat	DBW 187	229
		DBW 303	204
		DBW 173	54
2.	Rice	DRR Dhan 45	4
		CR Dhan 310	2
3.	Maize	LQMH 1	2
4.	Pearl millet	HHB 299	5
		HHB 311	4
5.	Mustard	Pusa Mustard 30	6
		Pusa Double Zero Mustard 31	3
		Pusa Mustard 32	1
6.	Soybean	NRC 127	4
7.	Potato	Kufri Neekanth	5
		Kufri Manic	1
8.	Pomegranate	Sholapur Lal	7
Total			531

बायो-फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता

NEED FOR BIOFORTIFICATION



बायो-फोर्टिफिकेशन का महत्व:

- यह कुपोषण को दूर करने का सर्वाधिक सतत प्रकार माना जाता है।

- यह पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप में प्रदान करता है।
- बायो-फोर्टिफाइड खाद्य सस्ता होता है क्योंकि इसमें अतिरिक्त लागत नहीं आती।
- ‘बायो-फोर्टिफाइड किस्में’ पारंपरिक किस्मों जितनी ही उपज देती हैं, जिससे किसानों को कोई हानि नहीं होती।
- इसमें ‘फूड फोर्टिफिकेशन’ जैसी विस्तृत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती।
 - ▲ फूड फोर्टिफिकेशन में प्रसंस्करण चरण के दौरान खाद्य फसलों की पोषण सामग्री को बढ़ाया जाता है।
- इसमें पोषक तत्वों से भरपूर खाद्यान्न तैयार करने में कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती।

चुनौतियाँ

- **कृषि और जलवायु संबंधी बाधाएँ:** बायो-फोर्टिफाइड किस्में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में समान रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकतीं।
- **बाजार प्रोत्साहनों की कमी:** किसानों को पोषक तत्वों से भरपूर फसलों के लिए बेहतर मूल्य नहीं मिलता, जिससे प्रेरणा कम होती है।
- **मांग की कमी:** जन जागरूकता अभियानों के अभाव में बाजार की मांग कम रहती है।
- **राष्ट्रीय पोषण योजनाओं से कमजोर एकीकरण:** मध्याह्न भोजन, ICDS और PDS में बायो-फोर्टिफाइड अनाज शायद ही सम्मिलित होते हैं।
- **R&D में सीमित निवेश:** GM फसलों या हाइब्रिड बीजों की तुलना में बायो-फोर्टिफिकेशन को कम वित्तीय समर्थन मिलता है।

आगे की राह

- बीज वितरण और किसान संपर्क को सुदृढ़ करें।
- बायो-फोर्टिफाइड फसलों को सरकारी खाद्य योजनाओं में शामिल करें।
- उपभोक्ता जागरूकता और बाजार संपर्क को बेहतर बनाएं।
- क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान और पोषण प्रभाव अध्ययन में निवेश करें।

Source: TH

POSH और राजनीतिक दल

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें POSH अधिनियम के अंतर्गत महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संरक्षण के दायरे से बाहर रखने को चुनौती दी गई थी।

परिचय

- याचिका में उल्लेख किया गया था कि 2013 अधिनियम के अंतर्गत ‘कार्यस्थल’ और ‘नियोजक’ की परिभाषाओं का विस्तार राजनीतिक क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए किया जाना चाहिए।
- इसमें न्यायालय से यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि “राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए POSH अधिनियम की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।”
- न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वे कुछ महिला सांसदों को साथ लेकर एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करें, क्योंकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013

- **यौन उत्पीड़न की परिभाषा:** इसमें शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग, यौन रंग की टिप्पणियाँ, अश्लील सामग्री दिखाना, और कोई भी अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक व्यवहार शामिल है।
- यह भारत के सभी कार्यस्थलों पर लागू होता है—निजी क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, NGO, शैक्षणिक संस्थान और असंगठित क्षेत्र।
- **कर्मचारी:** सभी महिला कर्मचारी, चाहे वे नियमित, अस्थायी, अनुबंध पर, दैनिक वेतन पर, प्रशिक्षु या इंटर्न हों, या मुख्य नियोजक की जानकारी के बिना कार्यरत हों—वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
- **आंतरिक शिकायत समिति (ICC):** प्रत्येक कार्यालय या शाखा में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हों, वहाँ नियोक्ता को ICC गठित करनी होती है।

- ▲ इसकी अध्यक्षता एक महिला द्वारा की जाती है, इसमें कम से कम दो महिला कर्मचारी, एक अन्य कर्मचारी और एक NGO कार्यकर्ता (कम से कम पाँच वर्षों के अनुभव के साथ) शामिल होते हैं।
- **स्थानीय समिति (LC):** देश के प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति गठित करना अनिवार्य है, जो उन संस्थानों की महिला कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करती है जहाँ 10 से कम कर्मचारी हैं।
- **शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:** महिला यौन उत्पीड़न की घटना के तीन से छह माह के अंदर लिखित शिकायत दर्ज कर सकती है।
 - ▲ समिति दो तरीकों से मामले का समाधान कर सकती है—शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के बीच सुलह (जो वित्तीय समझौता नहीं हो सकता), या समिति जांच शुरू कर सकती है तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई कर सकती है।
- **समयबद्ध जांच और कार्रवाई:** शिकायतों का निपटारा 90 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए।
- **वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट:** नियोक्ता को वर्ष के अंत में जिला अधिकारी को यौन उत्पीड़न की शिकायतों और की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।
- **अनुपालन न करने पर दंड:** ₹50,000 तक का जुर्माना और बार-बार उल्लंघन पर व्यवसाय लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों में POSH के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **नियोजक-कर्मचारी संबंध की अनुपस्थिति:** राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ औपचारिक रोजगार संबंध स्थापित नहीं करते।
 - ▲ वे स्वयंसेवक होते हैं जो पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, बिना किसी रोजगार लाभ की अपेक्षा के।
- **कार्यस्थल की परिभाषा:** राजनीतिक दल पंजीकृत संस्थाएँ हैं लेकिन श्रम या रोजगार कानूनों के अधीन नहीं आते।

- **कार्य और सदस्यता की अनौपचारिकता:** कई पार्टी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और बुनियादी स्तर के कैडर अनौपचारिक, बिना वेतन वाली भूमिकाओं में कार्य करते हैं, जिससे POSH ढांचे के अंतर्गत उनकी स्थिति को परिभाषित करना कठिन हो जाता है।
- **पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही का अभाव:** दल आंतरिक रूप से अपारदर्शी प्रणाली से संचालित होते हैं और शिकायतों या निवारण तंत्र की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करते।

आगे की राह

- भारत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के अंदर यौन उत्पीड़न पर आंतरिक जवाबदेही तंत्र के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रोत्साहित करें।
- इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल अपने संविधान और नियमों में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के प्रावधान शामिल कर सकते हैं।
- ऐसा कदम रैलियों में दिए गए भाषणों की तुलना में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी वास्तविक प्रतिबद्धता को बेहतर रूप से दर्शाएगा।

Source: TH

भारत में गैर-संचारी रोग

संदर्भ

- तीन दशक पूर्व, गांवों में गैर-संचारी रोग (NCDs) दर्तभ थे; लेकिन आज, निम्न और मध्यम आय वाले देश शहरों से गांवों तक फैले NCDs के भार का सामना कर रहे हैं।

गैर-संचारी रोग (NCDs)

- NCDs, जिन्हें दीर्घकालिक रोग भी कहा जाता है, सामान्यतः लंबे समय तक चलते हैं और आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय अवं व्यवहारिक कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।
- NCDs के मुख्य प्रकार हैं:
 - ▲ हृदय संबंधी रोग (जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक)
 - ▲ कैंसर
 - ▲ दीर्घकालिक श्वसन रोग (जैसे क्रॉनिक ऑप्स्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा)
 - ▲ मधुमेह

- प्रमुख NCDs चार व्यवहारिक जोखिम कारकों से जुड़े हैं:
 - ▲ अस्वस्थ आहार
 - ▲ शारीरिक गतिविधि की कमी
 - ▲ तंबाकू और शराब का सेवन
- हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, मधुमेह और दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारियाँ मिलकर विश्वभर में 74% मृत्युओं के लिए उत्तरदायी हैं।
- ये विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करते हैं, जहाँ वैश्विक NCD मौतों का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा होता है।

भारत में NCDs

- भारत में कुल मृत्युओं का 60% हिस्सा NCDs के कारण होता है।
- हृदय संबंधी रोग (कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, अवं उच्च रक्तचाप) NCD मृत्युओं में 45% योगदान करते हैं, इसके बाद दीर्घकालिक श्वसन रोग (22%), कैंसर (12%) और मधुमेह (3%)।
- तंबाकू का उपयोग NCDs से संबंधित सबसे बड़ा जोखिम कारक माना गया है।
- लगभग प्रत्येक चार भारतीयों में से एक को 70 वर्ष की आयु से पहले NCD के कारण मृत्यु का खतरा होता है।

भारत में NCDs में वृद्धि के कारण?

- **अस्वस्थ आहार:** प्रसंस्कृत, उच्च वसा, उच्च चीनी और कम फाइबर वाले खाद्य पदार्थों की ओर झुकाव।
- **शारीरिक निष्क्रियता:** शहरीकरण और डिजिटलकरण के कारण निष्क्रिय जीवनशैली।
- **नशे का सेवन:** विशेष रूप से युवाओं में तंबाकू और शराब का बढ़ता उपयोग।
- **पर्यावरणीय कारक:** वायु प्रदूषण दीर्घकालिक श्वसन और हृदय संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है।
- **रोकथाम स्वास्थ्य देखभाल की कमी:** सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में रोकथाम पर कमज़ोर ध्यान।
 - ▲ जागरूकता, स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान का अभाव।

- **रोगों का दोहरा भार:** भारत संक्रामक रोगों और NCDs दोनों का सामना कर रहा है, जिससे पहले से सीमित स्वास्थ्य ढांचा एवं अधिक दबाव में है।
- **सामाजिक-आर्थिक असमानता:** गरीब और हाशिए पर रहने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, स्वस्थ भोजन और शिक्षा तक सीमित पहुंच है।
 - ▲ निम्न आय वर्गों में भी पोषण संक्रमण और जागरूकता की कमी के कारण NCDs बढ़ रहे हैं।

NCDs के उच्च बोझ की चिंता

- **महामारी संक्रमण का परिवर्तन:** भारत संक्रामक रोगों से गैर-संचारी रोगों की ओर संक्रमण देख रहा है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी।
 - ▲ कई क्षेत्रों में संक्रामक रोगों और बढ़ते NCDs दोनों का सामना करना पड़ता है।
- **आर्थिक और सामाजिक प्रभाव:** दीर्घकालिक उपचार के लिए उच्च जेब व्यय(OOPE)।
 - ▲ कार्यशील आयु वर्ग की उत्पादकता पर प्रभाव।
 - ▲ लंबे समय तक स्वास्थ्य व्यय के कारण कई परिवार गरीबी का सामना करते हैं।
- **स्वास्थ्य प्रणाली की चुनौतियाँ:** प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पारंपरिक रूप से मातृ-शिशु और संक्रामक रोगों पर केंद्रित रही है।
 - ▲ दीर्घकालिक रोग प्रबंधन के लिए स्क्रीनिंग की कमी, जागरूकता की कमी और प्रशिक्षित कार्यबल का अभाव।

भारत सरकार द्वारा NCDs की रोकथाम हेतु उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS) 2010:** कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग एवं स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत।
- **NHM के तहत स्क्रीनिंग:** सामान्य NCDs की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए जनसंख्या आधारित पहल।

- ▲ 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के तीन सामान्य कैंसरों की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया जाता है।
- ▲ ये स्क्रीनिंग आयुष्मान भारत – हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के सेवा वितरण का अभिन्न हिस्सा हैं।
- **जागरूकता कार्यक्रम:**
 - ▲ कैंसर के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस एवं विश्व कैंसर दिवस का आयोजन।
- **फिट इंडिया मूवमेंट:** युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित, और योग संबंधित गतिविधियाँ आयुष्मान मंत्रालय द्वारा संचालित।
- **ईट राइट इंडिया मूवमेंट:** खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा संचालित।
 - ▲ स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना, ट्रांस फैट, नमक एवं चीनी की मात्रा को कम करना।
- **नियामक उपाय:**
 - ▲ ई-सिगरेट पर प्रतिबंध (2019)।
 - ▲ स्कूलों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध और पैकेट के सामने पोषण लेबलिंग—FSSAI दिशानिर्देशों के अंतर्गत।

आगे की राह

- प्रारंभिक स्क्रीनिंग और सतत प्रबंधन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करें।
- जीवनशैली हस्तक्षेप को बढ़ावा दें: शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ आहार, तंबाकू विरोधी अभियान।
- NCDs के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण बढ़ाएं।
- डिजिटल स्वास्थ्य उपकरण और टेलीमेडिसिन का उपयोग कर पहुंच का विस्तार करें।
- शहरी नियोजन, खाद्य प्रणाली, शिक्षा और पर्यावरण को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाएं।

Source: DTE

भूमि क्षरण और सूखे के स्वास्थ्य पर प्रभाव: UNCCD

संदर्भ

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए गठित कन्वेंशन (UNCCD) ने एक नीति संक्षेप जारी किया, जिसमें भूमि क्षरण और सूखे के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों का विवरण दिया गया है।


भूमि क्षरण और सूखे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम

- संचारी और गैर-संचारी रोगों में वृद्धि: नीति संक्षेप में पर्यावरणीय तनाव से जुड़े व्यापक स्वास्थ्य प्रभावों को उजागर किया गया है:
 - ▲ जलजनित रोग: हैजा, ट्रेकोमा, स्केबीज, नेत्रशोथ
 - ▲ कीटजनित रोग: मलेरिया और अन्य मच्छर जनित संक्रमण
 - ▲ श्वसन रोग: धूल भरी आंधियों और वनामि से उत्पन्न
 - ▲ हृदय संबंधी रोग: उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, स्ट्रोक
- **पोषण संबंधी विकार:** खाद्य असुरक्षा के कारण कुपोषण और बौनापन
- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:** सूखे के कारण विस्थापन, संसाधनों की कमी और आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता एवं अवसाद जैसे मानसिक रोगों में वृद्धि होती है।
 - ▲ ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय तक चले सूखे के कारण मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित लागत 2050 तक \$198 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है।

केस स्टडी: भारत, अफ्रीका और अन्य

- **भारत और उप-सहारा अफ्रीका:** नीति संक्षेप में 1991–2020 के अरिडिटी इंडेक्स और 2016–2018 के दौरान पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण दर की स्थानिक तुलना की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूखे एवं बच्चों में बौनापन वाले क्षेत्रों में स्पष्ट ओवरलैप है।

- जाम्बिया:** सूखे के कारण मक्का की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे मातृ पोषण में कमी आई और 6 से 16 सप्ताह के शिशुओं में बौनापन देखा गया।



भारत की संवेदनशीलता

- भारत ने 2015 से 2019 के बीच 3 करोड़ हेक्टेयर से अधिकउपजाऊ भूमि का क्षरण हुआ।
- इस अवधि में लगभग 854 मिलियन भारतीयों को सूखे का सामना करना पड़ा।
- सूखे की तीव्रता और बच्चों में बौनापन के बीच स्थानिक ओवरलैप भूमि क्षरण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है।

रोगों के पर्यावरणीय कारक

- मृदा की खराब गुणवत्ता एंथ्रेक्स सहित कई मृदा-जनित रोगों के फैलाव का कारण बन सकती है।
- जैव विविधता की हानि और भूमि उपयोग में बदलाव से इबोला एवं कोविड-19 जैसे जूनोटिक रोगों का खतरा बढ़ता है।

- रोग वाहकों (जैसे मच्छरों) के आवास में परिवर्तन से कीटजनित बीमारियों का प्रसार बढ़ता है।

नीति नवाचार: भारत का किसान संकट सूचकांक (FDI)

- भारत ने किसान संकट सूचकांक (FDI) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप है। यह उपकरण हितधारकों को तीन माह पहले अलर्ट प्रदान करने की उम्मीद करता है। FDI निम्नलिखित संकेतकों का मूल्यांकन करता है:
 - चरम मौसम के संपर्क में आना
 - वित्तीय तनाव
 - अकेलापन और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य संकेतक

संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशें और 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण

- नीति संक्षेप 'वन हेल्थ दृष्टिकोण' को बढ़ावा देता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र, पशु और मानव स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता को मान्यता देता है—जैसा कि UNCCD द्वारा स्वीकार किया गया है। इसमें शामिल हैं:
 - एकीकृत नीति और योजना:** पर्यावरण और स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रयासों का समन्वय करें।
 - लिंग समानता और सामुदायिक लचीलापन को प्रोत्साहन दें।
 - अनुसंधान और क्षमता निर्माण:** भूमि क्षरण के स्वास्थ्य प्रभावों पर अनुसंधान का विस्तार करें।
 - स्थानीय क्षमताओं को शमन और अनुकूलन के लिए सुदृढ़ करें।
 - वित्तीय तंत्र:** भूमि और स्वास्थ्य प्रणाली पुनर्स्थापन के लिए लक्षित वित्त पोषण एकत्रित करें।
 - स्वस्थ भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नवाचारी वित्तीय उपकरणों का समर्थन करें।
 - सतत समाधान:** भूमि पुनर्स्थापन, सतत कृषि, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जल प्रबंधन में निवेश करें।

Source: DTE

मुद्रास्फीति में कमी और निर्यात में वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तीव्रता

संदर्भ

- भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ विकास गति का अनुभव कर रही है, जिसमें मुद्रास्फीति में कमी और निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। यह घरेलू परिवारों को राहत प्रदान कर रही है एवं देश की वैश्विक व्यापार स्थिति को सुदृढ़ बना रही है।


वर्तमान स्थिति

- भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में सबसे तीव्रता से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसमें वास्तविक GDP वृद्धि 2024–25 में 6.5% अनुमानित है और 2025–26 में भी इसी दर से वृद्धि की संभावना है।
- वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, मजबूत घरेलू मांग, घटती मुद्रास्फीति, बढ़ते निर्यात और सशक्त पूँजी बाजार इस वृद्धि को समर्थन दे रहे हैं।
- विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड स्तर, नियंत्रित चालू खाता घाटा और बढ़ते विदेशी निवेश जैसे प्रमुख संकेतक भारत की आर्थिक लचीलता एवं दीर्घकालिक संभावनाओं में वैश्विक विश्वास को दर्शाते हैं।

GDP वृद्धि

- भारत की वास्तविक GDP 2024–25 में 6.5% की दर से बढ़ी, और भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025–26 में भी इसी तरह की वृद्धि की भविष्यवाणी की है।

Global Economic Growth Projections for 2025



Source: World Economic Situation and Prospects 2025 (Mid Year Update)

- संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष 6.3% और आगामी वर्ष 6.4% वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ ने 6.4% से 6.7% के बीच वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो भारत की मजबूत और निरंतर आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है।

भारत में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति जून 2025 में घटकर 2.10% पर आ गई, जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है और भारतीय रिजर्व बैंक के 4% ±2% के लक्ष्य सीमा के अंदर है।
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति भी जून 2025 में मामूली गिरावट के साथ –0.13% पर रही।
 - WPI खाद्य सूचकांक मुद्रास्फीति –0.26% पर आ गई, जो वर्ष भर में खाद्य कीमतों में स्थिरता का संकेत देती है।



भारत में मुद्रास्फीति को मापने वाले संकेतक

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI):** उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है।
 - यह प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और शक्ति तथा विनिर्मित उत्पादों की थोक कीमतों के आधार पर गणना की जाती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):** उन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है जिन्हें लोग दैनिक उपयोग के लिए खरीदते हैं, जैसे खाद्य और पेय पदार्थ, वस्त्र और जूते, आवास, ईंधन और प्रकाश आदि।



भारत का निर्यात वृद्धि

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 की प्रथम तिमाही (अप्रैल–जून 2025) में कुल निर्यात US\$ 210.31 बिलियन रहा, जो विगत वर्ष की तुलना में 5.94% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि आयात केवल 4.38% बढ़ा।
- इससे व्यापार घाटे में 9.4% की कमी आई, जो –US\$ 22.42 बिलियन से घटकर –US\$ 20.31 बिलियन हो गया।
 - सेवाओं का निर्यात प्रमुख वृद्धि चालक के रूप में उभरा, जो US\$ 98.13 बिलियन तक पहुँच गया, विगत वर्ष की तुलना में 10.93% की वृद्धि।
 - गैर-पेट्रोलियम निर्यात में 5.98% और गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात में 7.23% की स्पष्ट वृद्धि दर्ज की गई।



Source: Ministry of Commerce & Industry

भारत के निर्यात परिवृश्य को सुदृढ़ करने वाली सरकारी पहलें

- विदेशी व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन
 - नई विदेशी व्यापार नीति (FTP) 2023: निर्यात प्रोत्साहनों, व्यापार करने में सुलभ और ई-कॉमर्स व उच्च तकनीकी उत्पाद जैसे उभरते क्षेत्रों पर केंद्रित। लंबित प्राधिकरणों को निपटाने के लिए एक बार की माफी योजना शुरू की गई।
 - RoDTEP और RoSCTL योजनाएँ: निर्यातकों को कर और शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान करती हैं, जिससे फार्मस्यूटिकल्स, रसायन एवं इस्पात जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलता है।
 - जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना: प्रत्येक जिले में उच्च संभावनाओं वाले उत्पादों की पहचान कर उनके लिए अवसंरचना और बाजार संपर्क प्रदान करना।
 - निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना (TIES) और बाजार पहुँच पहल (MAI): निर्यात वृद्धि के लिए अवसंरचना विकास और विपणन प्रयासों को समर्थन देना।
- अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स
 - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) और पीएम गति शक्ति योजना: लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और GIS आधारित योजना के माध्यम से बहु-मोडल संपर्क को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
 - उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ: सरकार ने 2025–26 में प्रमुख क्षेत्रों के लिए PLI योजना के अंतर्गत बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे घरेलू विनिर्माण को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
- व्यापार सुगमता और डिजिटल पहल
 - अनुपालन और अपराधीकरण सुधार: मार्च 2025 तक सरकार ने 42,000 से अधिक अनुपालनों को हटाया है और 2014 से अब तक 3700 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त किया है। जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया।

- ▲ **राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS):** अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करता है, जिससे व्यवसायों को 670 केंद्रीय और 6880 राज्य अनुमोदनों के लिए आवेदन करने की सुविधा मिलती है।
- ▲ **ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म:** 17 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को भारतीय मिशनों और निर्यात परिषदों से जोड़ता है, जिससे व्यापार सुगमता सुनिश्चित होती है।
- ▲ **MSME निर्यातकों को समर्थन:** अप्रैल 2025 में MSME मंत्रालय ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए 65 निर्यात सुविधा केंद्र (EFCs) स्थापित किए हैं।

निष्कर्ष

- घटती कीमतें और बढ़ता निर्यात यह दर्शाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर विकास पथ पर है, जो घेरेलू परिवारों को राहत प्रदान कर रही है।
- सुदृढ़ मांग एवं निरंतर सुधारों के साथ, भारत आत्मविश्वास के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, जिससे देशवासियों के लिए स्थिरता और नए अवसर सुनिश्चित होंगे।

Source: [DD News](#) / [PIB](#)

संक्षिप्त समाचार

OPEC+ देश तेल उत्पादन बढ़ाएंगे

संदर्भ

- हाल ही में OPEC+ गठबंधन ने घोषणा की है कि वह सितंबर 2025 से प्रतिदिन 547,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएगा।

OPEC+ के बारे में

- OPEC+, OPEC का विस्तारित गठबंधन है, जिसमें कुल 22 सदस्य हैं।
- इसमें 12 OPEC सदस्य देशों के साथ 10 प्रमुख गैर-OPEC तेल उत्पादक देश शामिल हैं: रूस, कज़ाखस्तान, अज़रबैजान, ब्रुनेई, बहरीन, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, सूडान और मलेशिया।

- OPEC+ का गठन 2016 में OPEC देशों द्वारा ‘अल्जीयर्स समझौते’ को अपनाने और OPEC तथा अन्य प्रमुख तेल निर्यातक देशों के बीच ‘वियना समझौते’ पर हस्ताक्षर के बाद हुआ।
- इसका उद्देश्य अमेरिकी शेल ऑयल की वृद्धि का संतुलन बनाना और वैश्विक अस्थिरता के बीच तेल की कीमतों को स्थिर करना था।

बाज़ार प्रभाव और उत्पादन रणनीति

- OPEC+ वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग 48% नियंत्रित करता है, जिससे यह ऊर्जा मूल्य निर्धारण में एक प्रमुख शक्ति बन गया है।
- यह समूह अब मूल्य रक्षा रणनीति से बाज़ार हिस्सेदारी रणनीति की ओर बढ़ गया है, और अमेरिकी शेल उत्पादकों पर दबाव बनाने के लिए उत्पादन बढ़ा रहा है।

OPEC के बारे में

- OPEC की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में सऊदी अरब, ईरान, वेनेज़ुएला, कुवैत और इराक द्वारा की गई थी।
- इसके 12 सदस्य देश हैं: अल्जीरिया, कांगो, भूमध्य गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेज़ुएला।
 - ▲ अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता वापस ले ली है।
- OPEC का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा तेल बाज़ारों की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

हालिया निर्णय का प्रभाव

- ब्रेंट क्रूड की कीमत घटकर लगभग \$69.27 प्रति बैरल पर आ गई, जबकि WTI क्रूड \$66.96 प्रति बैरल तक गिर गया।
- गोल्डमैन सैक्स और BNP पारिबा के विश्लेषकों का अनुमान है कि कीमतें 2025 के अंत तक और गिरकर \$55–\$59 प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं।

Source: [BS](#)

“संयुक्त सागर-2025” अभ्यास

समाचार में

- चीन और रूस ने जापान सागर में “संयुक्त सागर-2025” नौसैनिक अभ्यास शुरू किया।

“संयुक्त सागर-2025” अभ्यास

- ब्लादिवोस्टोक के पास तीन दिवसीय अभ्यास में पनडुब्बी बचाव, पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा और समुद्री युद्ध जैसे अभियान शामिल हैं, जिसमें चार चीनी युद्धपोत भाग ले रहे हैं।
- 2012 में शुरू हुए ये वार्षिक अभ्यास, दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को दर्शाते हैं, विशेषकर 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के पश्चात्।
- अभ्यास के पश्चात्, प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त गश्त की जाएगी।
- इसका उद्देश्य उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का सामना करना है।

Source :TH

पिंगली वेकैया

समाचार में

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री पिंगली वेकैया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पिंगली वेकैया

- उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले में हुआ था।
- वे एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर थे, जो बाद में वर्तमान तिरंगे के रूप में विकसित हुआ।

ध्वज की बनावट

- 1921 में, उन्होंने विजयवाड़ा में कांग्रेस के एक अधिवेशन में महात्मा गांधी को एक ध्वज की बनावट प्रस्तुत की।
- उनके मूल डिज़ाइन में भारत के प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन धारियाँ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक एक चरखा था।
- 1947 में, डिज़ाइन में संशोधन करके अशोक चक्र को शामिल किया गया, जो कानून और प्रगति का प्रतीक है।

परंपरा

- उनके कार्यों ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाने की नींव रखी।
- उन्हें एकता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है, और उनके प्रयासों को प्रतिवर्ष आज्ञादी का अमृत महोत्सव तथा हर घर तिरंगा अभियान के दौरान स्मरण किया जाता है।

मान्यता

- भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए हैं और उनकी विरासत का जश्न मनाने के लिए तिरंगा उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

Source :PIB

प्रथम बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव

समाचार

- ‘सप्तसूरः सात राष्ट्र, एक राग’ शीर्षक से प्रथम बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया।
- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)
- यह बंगाल की खाड़ी के तटीय और आस-पास के क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य देशों का एक समूह है।
- यह दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक अद्वितीय माध्यम है - दक्षिण एशिया से पाँच सदस्य (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका) और दक्षिण-पूर्व एशिया से दो सदस्य (स्थामार एवं थाईलैंड)।
- बिम्सटेक क्षेत्र 1.7 अरब लोगों को एक साथ लाता है - जो विश्व की 22% जनसंख्या है और जिसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

फोकस

- बिम्सटेक ने 1997 में शुरूआत में छह क्षेत्रों (व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन) पर ध्यान केंद्रित किया था और 2008 में कृषि, जन स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद-निरोध, पर्यावरण, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क एवं जलवायु परिवर्तन को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया।

ऐतिहासिक संबंध

- यह संगठन 6 जून 1997 को 'बैंकॉक घोषणा' के माध्यम से अस्तित्व में आया।
- यह मूल रूप से चार सदस्य देशों के साथ 'बिस्ट-ईसी' (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के संक्षिप्त नाम से गठित किया गया था।
- दिसंबर 1997 में म्यांमार को इसमें शामिल करने के पश्चात्, इसका नाम परिवर्तित 'बिस्स-ईसी' (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) कर दिया गया।
- 2004 में नेपाल और भूटान को इसमें शामिल करने के साथ, समूह का नाम परिवर्तित कर बिस्सटेक कर दिया गया।

Source :Air

भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक दक्षिण क्षमता निर्माण

समाचार में

- भारत ने भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के अंतर्गत चार परियोजनाओं की प्रथम श्रृंखला शुरू की।

भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल

- इसका उद्देश्य विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक दक्षिण का समर्थन करना है।
- सितंबर 2023 में घोषित यह पहल, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच एक सहयोग है।
- यह भारत के दीर्घकालिक ITEC कार्यक्रम पर आधारित है, जो लगभग 160 देशों को वार्षिक 12,000 से अधिक प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करता है।
- इस पहल के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां परियोजनाओं की पहचान करने में सहायता करती हैं, जबकि प्रशिक्षण ITEC के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

प्रगति

- भारत-संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के पहले चरण में, चार परियोजनाएं शुरू की गई हैं:
 - नेपाल में चावल का सुदृढ़ीकरण (WFP के साथ),
 - जाम्बिया और लाओस PDR के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म (UNDP के साथ),
 - कैरेबियाई देशों में जनगणना की तैयारी (UNFPA के साथ),
 - दक्षिण सूडान में व्यावसायिक प्रशिक्षण (UNESCO के साथ)।

Source :Air

स्टेबलकॉइन

संदर्भ

- हांगकांग 1 अगस्त, 2025 से स्टेबलकॉइन अध्यादेश लागू करने वाला है, जो वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण नियामक हस्तक्षेप को चिह्नित करता है।

स्टेबलकॉइन क्या हैं?

- स्टेबलकॉइन ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें अंतर्रिहित परिसंपत्तियों जैसे:
 - फ़िएट मुद्राएँ (जैसे, अमेरिकी डॉलर, यूरो),
 - वस्तुएँ (जैसे, सोना),
 - अन्य क्रिप्टोकरेंसी, या
- एल्गोरिदम-आधारित प्रणालियों से उनके मूल्य को जोड़कर मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- स्टेबलकॉइन, सीबीडीसी या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं से भिन्न हैं, जो आधिकारिक तौर पर सरकार के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित डिजिटल मुद्राएँ हैं।
- इस बीच, स्टेबलकॉइन निजी तौर पर जारी किए जा सकते हैं और विदेशी मुद्राओं से भी जुड़े हो सकते हैं।

स्टेबलकॉइन का वैश्विक परिवर्शय

- अमेरिका:** जीनियस अधिनियम स्टेबलकॉइन के लिए 100% आरक्षित समर्थन और मासिक सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करता है।

- जापान और सिंगापुर: स्टेबलकॉइन के लिए लक्षित नियम लागू किए हैं।
- चीन: घरेलू स्तर पर क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन अपनी तकनीकी कंपनियों के माध्यम से हांगकांग को एक स्थिर मुद्रा केंद्र के रूप में खोज रहा है।

Source: [TH](#)

पूर्वोत्तर भारत में बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन संदर्भ

- भारतीय रेलवे ने मिज़ोरम में बैराबी से सैरांग तक 51.38 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन शुरू की है, जो राज्य की राजधानी आइज़ोल से केवल 18 किलोमीटर दूर है।

परिचय

- असम की सीमा के पास कोलासिब जिले में बैराबी, अब तक मिज़ोरम का एक मिज़ोरम का एक उपनगर है, जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है।
- यह परियोजना 2010 के दशक की शुरुआत में भारतीय रेलवे की उस योजना का हिस्सा थी जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ा जाना था।
- बैराबी-सैरांग खंड में 48 सुरंगें हैं जिनकी कुल लंबाई 12.85 किलोमीटर और 142 पुल हैं।

एक्ट ईस्ट नीति क्या है?

- 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट नीति, 1991 में शुरू की गई लुक ईस्ट नीति का एक अधिक महत्वाकांक्षी संस्करण थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को आसियान ब्लॉक के लिए भारत का प्रवेश द्वारा बनाना था।
- संबंधित रेल और सड़क परियोजनाएँ:
 - दीमापुर-जुब्जा रेलवे (नागालैंड):** निरंतर प्रगति पर
 - इम्फाल-मोरेह रेलवे (मणिपुर):** जातीय अशांति के कारण विलंबित
 - एशियाई राजमार्ग-1:** असम से कोहिमा और इंफाल होते हुए मोरेह तक
 - अगरतला-अखौरा लाइन (त्रिपुरा-बांग्लादेश)**

अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की चुनौतियाँ

- एक्ट ईस्ट नीति के कार्यान्वयन में भू-राजनीतिक बाधाएँ आई हैं, जिनमें फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में चल रहा गृहयुद्ध और अगस्त 2024 में सरकार परिवर्तन के पश्चात् बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता शामिल है।
- अगरतला-अखौरा रेलवे परियोजना, जो त्रिपुरा को बांग्लादेश के माध्यम से कोलकाता तक तेज़ पहुँच और चटगाँव बंदरगाह से संपर्क प्रदान करती, रुकी हुई है।
- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना में देरी: ₹2,904 करोड़ की यह परियोजना मिज़ोरम-कोलकाता की दूरी 1,000 किमी कम कर देगी, लेकिन म्यांमार में अस्थिरता।

Source: [TH](#)

छोटे किसानों के लिए ICRISAT की AI परामर्श

संदर्भ

- ICRISAT ने ICAR और अन्य के सहयोग से खेती को बढ़ावा देने के लिए एक AI-संचालित जलवायु परामर्शदात्री पहल शुरू की है।
- अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT)
- ICRISAT एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है।
- यह उन्नत फसल किस्में एवं संकर उपलब्ध कराकर किसानों की सहायता करता है और शुष्क भूमि में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी सहायता करता है।
- इसकी स्थापना 28 मार्च 1972 को भारत सरकार और CGIAR के बीच एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई थी।

हालिया परामर्श

- यह केंद्र सरकार के मानसून मिशन III के अंतर्गत समर्थित है, इस परियोजना का शीर्षक है “बड़े पैमाने पर जलवायु-लचीली कृषि के लिए AI-संचालित संदर्भ-विशिष्ट कृषि परामर्श सेवाएँ”।

- इसका उद्देश्य छोटे किसानों को अति-स्थानीय, क्रियाशील मौसम और जलवायु संबंधी जानकारी से लैस करना है।
- वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान, फसल मॉडल और मशीन लर्निंग एनालिटिक्स को एकीकृत करके, यह पहल बुवाई, सिंचाई एवं कीट प्रबंधन पर सटीक सुझाव देगी।
- सलाह उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल चैनलों, जिनमें एक एआई-संचालित व्हाट्सएप बॉट भी शामिल है, के माध्यम से दी जाएगी, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुँच सुनिश्चित होगी।
- यह परियोजना सबसे पहले महाराष्ट्र में आईसीएआर की कृषि-मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयों (एएमएफयू) के माध्यम से छोटे किसानों तक पहुँचने के लिए लागू की जाएगी। इस चरण से प्राप्त जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यान्वयन को प्रेरित करेगी और दक्षिण-दक्षिण विस्तार के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करेगी।

Source: [AIR](#)

DNTs के लिए स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग में वृद्धि

संदर्भ

- अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) के राष्ट्रीय सम्मेलन में इन समुदायों के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग तीव्र हो रही है।

घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और अधिसूचित जनजातियाँ (NTs, SNTs और DNTs)

- घुमंतू समुदाय:** ऐसे समुदाय जो एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास न करके निरंतर स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। ये पारंपरिक व्यवसायों जैसे पशुपालन, व्यापार या हस्तशिल्प में संलग्न होते हैं।
- अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ:** आंशिक रूप से घुमंतू और आंशिक रूप से स्थायी रूप से निवासित समुदाय, जो मौसमी रूप से प्रवास करते हैं और अस्थायी बस्तियाँ भी स्थापित करते हैं।

- अधिसूचित जनजातियाँ (DNTs):** ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के अंतर्गत “आपराधिक जनजातियों” के रूप में वर्गीकृत की गई थीं। यह अधिनियम 1952 में निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को “अधिसूचित से मुक्त” किया गया।
 - जबकि अधिकांश DNTs अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में फैले हुए हैं, कुछ DNTs ऐसे भी हैं जो SC, ST या OBC श्रेणियों में शामिल नहीं हैं।
- स्थिति:** इदाते आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि देश भर में कुल 1,526 DNT, NT और SNT समुदाय हैं, जिनमें से 269 को अभी तक SC, ST या OBC के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
 - भारत में कुल 425 अधिसूचित जनजातियाँ, 810 घुमंतू जनजातियाँ और 27 अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ हैं।
- DNT समुदायों में, लांबाड़ा (ST) सबसे मुख्य और दृश्य हैं, इसके बाद वड्डेरा (BC) समुदाय सरकारी क्षेत्र एवं राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय हैं।

DNTs से संबंधित समितियाँ

- अर्यांगार समिति (1949–50):** यह समिति आपराधिक जनजाति अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इसने अधिनियम को निरस्त करने की सिफारिश की और इन समुदायों के कल्याण एवं पुनर्वास की आवश्यकता पर बत दिया।
 - अधिनियम 1952 में निरस्त कर दिया गया।
- कालेलकर समिति (1953):** यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग थी, जिसे 29 जनवरी 1953 को श्री काकासाहेब कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था।
 - इसने “आपराधिक जनजाति” शब्द को हटाकर “अधिसूचित समुदाय” शब्द अपनाने की सिफारिश की।
 - साथ ही इन समुदायों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए बिखरी हुई बसावट की सिफारिश की।

- इदाते आयोग (2014–2017): इस आयोग को अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT/ NT/SNT) की पहचान एवं सूचीकरण, उनके विकास का मूल्यांकन और व्यवस्थित कल्याण उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया था।
 - इसकी रिपोर्ट के आधार पर 2019 में DNTs के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) की स्थापना की गई।

Source: TH

टी सेल(T cell)


संदर्भ

- हार्वर्ड के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करते हुए AI-डिज़ाइन किए गए प्रोटीनों के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन किया है और कैंसर से लेकर वायरल संक्रमणों तक की बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा को बढ़ाया है।

परिचय

खोज का महत्व:

- प्रयोगशाला बायोरिएक्टरों में बड़े पैमाने पर टी-कोशिकाओं का उत्पादन संभव हुआ, जो CAR टी-सेल इम्यूनोथेरेपी के लिए महत्वपूर्ण है।
- चूहों में, इन एगोनिस्ट्स के इंजेक्शन से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि हुई और मेमोरी टी-कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ा, जिससे टीकों की प्रभावशीलता में सुधार हुआ।



- संभावित अनुप्रयोग:
 - इम्यूनोथेरेपी
 - वैक्सीन विकास
 - प्रतिरक्षा कोशिका पुनर्जनन

बी और टी-कोशिकाएँ क्या हैं?

- बी-कोशिकाएँ और टी-कोशिकाएँ श्वेत रक्त कोशिकाओं की एक विशिष्ट श्रेणी होती हैं जिन्हें लिम्फोसाइट्स कहा जाता है।
- ये प्रतिरक्षा प्रणाली को रोगाणुओं से लड़ने और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करती हैं।
- टी-कोशिकाओं के प्रकार:
 - साइटोटॉक्सिक टी-कोशिकाएँ:** ये वायरस और बैक्टीरिया से संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, साथ ही ट्यूमर कोशिकाओं को भी खत्म करती हैं।
 - हेल्पर टी-कोशिकाएँ:** ये अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संक्रमण से लड़ने के लिए संकेत भेजती हैं।
 - रेगुलेटरी टी-कोशिकाएँ (Tregs):** ये अत्यधिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को दबाकर ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाओं को रोकती हैं और प्रतिरक्षा सहिष्णुता बनाए रखती हैं।
 - ये शरीर की अपनी कोशिकाओं और ऊतकों पर प्रतिरक्षा प्रणाली के हमले को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
 - टी-कोशिकाएँ अस्थि मज्जा (bone marrow) में उत्पन्न होती हैं, थाइमस (thymus) में परिपक्व होती हैं और अंततः लिम्फ ऊतक या रक्तप्रवाह में स्थानांतरित हो जाती हैं।
 - बी-कोशिकाएँ:** बी-कोशिकाएँ एंटीजन (antigen) के प्रति प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी बनाती हैं।
 - बी-कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार होते हैं:
 - प्लाज्मा कोशिकाएँ:**
 - मेमोरी कोशिकाएँ:**
 - दोनों प्रकार संक्रमण और बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती हैं।

Source: TH

ऑपरेशन मुस्कान-XI

संदर्भ

- तेलंगाना पुलिस ने विगत महीने के दौरान राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन मुस्कान-XI पहल के अंतर्गत 7,600 से अधिक बच्चों को बचाया।

पहल के बारे में

- उद्देश्य:** बाल श्रम, भीख मांगने या असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को बचाना।
- उच्च जोखिम वाले क्षेत्र लक्षित किए गए:** रेलवे एवं बस स्टेशन, ईंट भट्टियाँ, मैकेनिक की दुकानें, निर्माण स्थल, चाय की दुकानें और धार्मिक स्थल।

- समन्वय में संचालित:** महिला विकास और बाल कल्याण विभाग, श्रम एवं स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियाँ (CWCs), जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ (DCPUs), और गैर-सरकारी संगठन (NGOs)।

क्या आप जानते हैं?

- ऑपरेशन मुस्कान, जिसे ऑपरेशन स्माइल भी कहा जाता है, गृह मंत्रालय (MHA) की एक पहल है।
- यह एक महीने लंबा अभियान होता है, जिसे राज्य पुलिस बलों द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य लापता या तस्करी के शिकार बच्चों को खोजकर, बचाकर, पुनर्वासित कर उनके परिवारों से पुनर्मिलन कराना है।

Source: [TH](#)

